SPICES BOARD
(Ministry of Commerce and Industry
Government of India)
Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन. एच. बाइपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोचिन - 682 025, भारत

परिपत्र संख्या : 11/2021 08 अक्तूबर, 2021

विषय : यूरोपीय संघ केलिए अभिप्रेत निर्यात परेषणों में क्लोरपाइरीफोस एवं क्लोरपाइरीफोस मीथाइल की उपस्थिती के कारण संभावित जोखिम -बाबत

यूरोपीय संघ के स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा महानिदेशालय(DG SANTE) ने ईयू केलिए भाट से आयात किए जानेवाले मसलों के खेपों में क्लोरपाइरीफोस एवं क्लोरपाइरीफोस मीथाइल के अवशेषों की उपस्थिती रिपोर्ट की है। DG SANTE ने भारत से आयात किए जानेवाले मसलों तथा सूखे शाकों सहित वस्तुओं में क्लोरपाइरीफोस की उपस्थिती के कारण संभावित जोखिम पर और प्रकाश डाला।

यह सूचित किया जाता है कि यूरोपीय संघ में क्लोरपाइरीफोस एवं क्लोरपाइरीफोस मीथाइल गैर-अनुमोदित पदार्थ हैं। यूरोपीय संघ द्वारा मसालों की श्रेणी केलिए, यूरोपीय संघ नाशकजीवनाशी डाटाबेस वेबसाइट के अनुसार, क्लोरपाइरीफोस एवं क्लोरपाइरीफोस मीथाइल हेतु निर्धारित अधिकतम अवशेष स्तर(एमआरएल) 0.01 मि.ग्रा./कि.ग्रा. है। उत्पादवार अद्यतन एमआरएल विवरण नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त किया जा सकता है:
(https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as)

इस संबंध में, मसालों व मसाले उत्पादों के सभी निर्यातकों को यूरोपीय संघ केलिए मसालों व मसाला उत्पादों के निर्यात करते समय, क्लोरपाइरीफोस एवं क्लोरपाइरीफोस मीथाइल के अनुमत्य स्तर के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने और इसकेलिए उचित प्रयास करने की सलाह दी जाती है।

निदेशक(विपणन)

सेवा में,
मसाले और मसाला उत्पादों के सभी निर्यातक

(फाइल नंबर से जारी: एमकेटी-आरएएसएफ़एफ़/0001/2021-मार्केटिंग - 17772)